(137)

(244)

निग॰ 3995/2018/रीवा/भू-रा॰

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियरफ्ससर्किट कोर्ट रीवा, जिलारीवाम0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

ज्ञानदत्त द्विवेदी तनय रामानुज द्विवेदी उम्री करीबन 56 साल, पेशा-खेती निवासी - साकिम - अटरा कला कोठार थाना लौर तह0 मऊगंज जिलारीवा म0प्र0,

----- आवेदक /निगरानीकर्ता

विरुद्ध

शासन म0प्र0

----- अनावेदक /गैर निगरानीकर्ता

अधि॰श्री आर॰ पी॰ द्विवेदी द्वारा पेश 30.6.18

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध रा0प्र0क्र0-116/अ6/2016-17 में पारित विद्वान नायब तहसीलदार सर्किल देवतालाब तह0मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-2018, अंतर्गत धारा - 50 सहपठित धारा 8 एवं 32 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959ई॰

मूल प्रकरण --: ज्ञानदत्त द्विवेदी बनाम शासन म0प्र0, रा0प्र0क्र0- 116 अ6 /16-17 विचारण न्यायालय-माननीय नायब तहसीलदार सर्किल देवतालाब तह0मऊगंज जिलारीवाम0प्र0,

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नहैं :

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा यह प्रकरण दिनांक 29-9-2017 को दायर किया गया , जिसमें ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन मंगाया गया ,जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25-1-2018 कोप्राप्त हुआ, इसी प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया, जो दिनांक 26-4-2018 तक प्राप्त नहीं था, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन हेतु आवेदक को 25-5-2018 की तारीख दी गयी । आवेदक अपने प्रकरण की पैरवी के लिये दिनांक 25-5-2018 को उपस्थित हुआ ,तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25-5-2018 के बजाय दिनांक 26-4-2018 को तारीख लिखते

क्र:

30/6/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03995/2018/रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

ज्ञानदत्त द्विवेदी/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, सर्किल देवतालाब, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 116/अ6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	